

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

—:: मंत्रालय ::—

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

—कार्यालयीन आदेश—

क्र. 747/F-01001388/एल-8-1/ब-4/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 04.09.2021

प्रति,

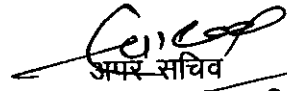
1. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
2. समस्त अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
3. समस्त अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
4. सहायक सांख्यिकी अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी
वित्त विभाग, मंत्रालय

विषय :- वित्त विभाग के अधिकारियों के मध्य आंतरिक कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन बाबत।
संदर्भ :- वित्त विभाग का कार्यालयीन आदेश क्रमांक/744/F-01001388/एल-8-1/ब-4/चार,
दिनांक 03.09.2021

—000—

संदर्भित कार्यालयीन आदेश द्वारा जारी आंतरिक कार्य विभाजन में "परिशिष्ट-अ" अनुसार
आंशिक संशोधन किया जाता है। (परिशिष्ट-अ संलग्न)

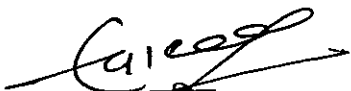
2— यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 748/F-01001388/एल-8-1/ब-4/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 04.09.2021

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय,
2. विशेष सचिव/अपर सचिव, वित्त, के निज सहायक, मंत्रालय,
3. संचालक बजट, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय,


अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

वित्त विभाग के आंतरिक कार्य विभाजन में आर्थिक संशोधन

(दिनांक 04.09.2017 की स्थिति में)

क्र.		अनुभाग	आवृत्ति कार्य	अनुभाग अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी/ सहायक लेखा अधिकारी	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	-	उप सचिव	उप सचिव	संयुक्त सचिव/संचालक बजट/अपर सचिव/विशेष सचिव	सचिव
1	स्थापना शाखा	द	संस्थानगत वित्त	श्री लीलान्धर ओहदार, अनुभाग अधिकारी				श्री सामिल रंजन चौधे, उप सचिव		-	श्रीमती अलरमेलमंगई डी. सचिव

